चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 वंशनारायण सिंह चौकी प्रभारी सरैया मय हमराह मुख्य आरक्षी संदीप देव,आरक्षी राजीव कुमार एवं आरक्षी मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त रामसवारे पुत्र भागीरथ उम्र 33 वर्ष निवासी लौढ़िया माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 21 पाउच देशी शराब मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराह आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा मु0नं0 3107/2022 मु0अ0स0 815/2018 धारा 147341,504 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट के वारंटी अभियुक्त राजाराम सोनी पुत्र स्व0 जगमोहन निवासी शंकरगंज गंगाजीरोड कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा ग्राम खरसेड़ा में हुये सामूहिक दुष्कर्म के दो बाल अपचारी गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.04.2026 को एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिक पुत्री दिनांक 04.03.2026 को पानी भरने गाँव से कुछ दूर कुए के पास गयी थी कि उसी समय गांव के तीन लड़को द्वारा लड़की को रास्ते से जबरन उठाकर खेत में ले गये मारापीटा एवं लगभग 02 घंटा तक बलात्कार किया तत्पश्चात हमने लोक लाज की डर से मुकदमा नही लिखाया। लेकिन इन लोगों द्वारा लगातार गाली व धमकी दिया जा रहा था उसी कारण टेंसन में दिनांक 14.04.2026 को उनकी बेटी समय शायं 05.00 बजे घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली सूचना पर थाना पहाडी में मु0अ0सं0 - 65/2026 धारा 127(2),70(2),108,115(2),351(3),352 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(1)द0ध0 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.04.2026 को थाना पहाडीं पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के दो बाल अपचारी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3.आरक्षी बहोरन

(5).आज दिनांक 16.04.2026 को वैशाख अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंदाकिनी भवन सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में मेला में तैनात पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस फोर्स अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर मेला को सकुशल संपन्न कराए सभी

अपर पुलिस अधिकारी हैंडसेट लाउड हेलर अवश्य प्राप्त कर लें सभी पुलिस जोनल प्रभारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके जिन प्वाइंट पर ड्यूटी लगी है वह समय से ड्यूटी करें अगर कोई ड्यूटी के प्रति शिथिलता बरते तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें। पुरे पुलिस फोर्स को 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 13 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 68 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 199 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,51 महिला कांस्टेबल, 03 निरीरक्षक/उपनिरीक्षक यातायात, 22 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 02 उ0नि0 एलआईयू, 06 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू,01 डॉग स्क्वायड,01बीडीएस, 01 एसचेक, पीएससी की एक कम्पनी फोर्स,एक प्लाटून फ्लड कम्पनी,की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान मेला में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(6).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्री मती सृष्टि शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 16.04.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 99/20 धारा 504 आईपीसी के आरोपी अभियुक्ता सुशीला उर्फ चन्दी पत्नी मुकेश निवासी बंसिघा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). आज दिनांक 16.04.2026 को अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यापल सिंह द्वारा वैशाख अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाडा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान मेला में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण की ड्यूटी चेक कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने एवं श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया तथा घाटों पर लगे पुलिस बल को बताया गया कि गहरे पानी में जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोके,जो नाव लगे है उनकी सहायता से तत्काल बचाव का कार्य करेंगें । सभी नाविकों को निर्देशित किया गया कि अपनी-अपनी नाव में लाइफ जैकेट रखेंगे और जैसे ही श्रद्धालु नाव में बैठे उनको तुरंत लाइफ जैकेट पहनायेंगे।